

25/18

32

22/5/18
[Signature]
22/5/18

र. ६१४००
22/5/18

दकीलवाली/प्रतिवाली/प्रार्थी/अप्रार्थी उप.
पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते. लखनऊ
दिनांक 22/5/18 को पेश हो।

32

आज 22/5/18 को न्यायालय में
मेरी ओर करदाताओं के कर्तव्य
अनुसार धरिये हुए हैं।

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 259/16

अनवान : 1. अमरजीत } पुत्रान मनीराम जाति चमार निवासी 4
2. सरजीतसिंह } एमएसआर सरदारगढ़िया तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम


1. मनीराम पुत्र बस्तीराम जाति चमार निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
2. आईसीआईसीआई बैंक जरिए शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. उप पंजीयक, भादरा।
5. सवित्री पुत्री मनीराम पत्नी सुरेश जाति मेघवाल हाल निवासी खुईया नेपालपुर सिरसा।


—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं स्थायी
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 सरदारगढ़िया में वकीलवादी श्री रोहताश सहारण व वकील प्रतिवादी श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 4 एमएसआर के खाता सं० 66/65 के मु० न. 26 के किला न. 11, 19 ता 22, मु० न. 41 के किला न. 1, 2, 9 ता 12 कुल 2.783 हैक्टर नहरी 1.265 हैक्टर बारानी 1.492 हैक्टर में प्रतिवादी मनीराम का नाम कलमजन कर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 5 चारों को बहिस्सा बराबर $1/4 - 1/4$ के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ